21/10/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीया उपस्थित। विपक्षी भूमिधारी तहसीलदार डूंगला से प्राप्त पत्र का जवाब प्राप्त हुआ जिसको शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार डूंगला ने जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि ग्राम नंगावली के खाता संख्या 792 नकल जमाबन्दी सम्वत 2073-76 में वर्णित आराजी नम्बर 3150/1845 रकबा 0.2166 है भूमि लगान 0.88 रू. लगान रू. प्रार्थीया के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीया के नाम नकल जमाबन्दी में

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kumar Tada
Date: 2023.02.13 18:22:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

(10)

दर्ज रकबा के मुकाबले नक्शे में रकबा बरारी करने पर रकबा 0.1950 हैक्टेयर है जबकि जमाबन्दी में दर्ज रकबा के मुकाबले 0.0216 है। मुकि नक्शे में कम तरमीम है। जमाबंदी में दर्ज रकबा के अनुसार मानिज बैठे से भू.अ. निरीक्षक नंगावली, पटवारी हल्का नंगावली की रिपोर्ट के अनुसार मौका स्थिति अनुसार आराजी के उत्तर-पश्चिम की तरफ एक गड्ढा चौड़ाई में बढ़ाई जाकर नक्शे में तरमीम शुद्ध किया जाना तहसीलदार डूंगला द्वारा प्रस्तावित किया गया है। वकील प्रार्थीया की बहस को सुना गया वकील प्रार्थीया ने बहस में कथन किया गया किया गया कि तहसीलदार डूंगला से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नक्शे में शुद्धि का आदेश किया जावे। इस पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, तहसीलदार डूंगला से प्राप्त रिपोर्ट व राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन कर परीक्षण किया गया बाद जांच परीक्षण प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट के तहत सही पाया जाने से राजस्व नक्शे में तरमीम शुद्ध किया जाना न्यायोचित होकर उचित है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट का स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार डूंगला को भेजी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kumar Tada
Date: 2023:02.13 18:22:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner